राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3089/2025

उर्मिला

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाए, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.06.2025
आदेश की दिनांक : 08.07.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को आलौच्य आदेश दिनांक 09.05.2025 द्वारा सीएमएचओ जैसलमेर में पदस्थापित किया गया है। (अनुलग्नक–1) आपदा घोषित होने के कारण अपीलार्थी की सेवाएँ वर्तमान तैनाती स्थल से हटा दी गई हैं और उसे जैसलमेर के नियंत्रण में तैनात किया गया है, जिसकी दूरी 530 किलोमीटर से अधिक है और आवंटित विद्यालय तक पहुँचने के लिए कोई सीधा मार्ग नहीं है। यह आदेश प्रतिबंध अवधि के दौरान पारित किया गया है, जो कानून के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 ने पारिवारिक समस्याओं और अपनी शारीरिक स्थिति की अनदेखी करते हुए दिनांक 09.05.2025 का आदेश पारित किया, जिसके तहत अपीलार्थी को दूरस्थ स्थान पर विस्थापित कर दिया गया है। अपीलार्थी का पति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोठ, ब्लॉक सिंघाना जिला झुंझुनू में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है। स्थानांतरण नीति के अनुसार पति और पत्नी को एक ही स्थान पर या निकटवर्ती स्थान पर रखा जाना चाहिए। दोनों सरकारी सेवा में हैं, लेकिन इसकी अनदेखी करते हुए अपीलार्थी को दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–2)

अपीलार्थी को प्रारंभ में एएनएम के पद पर नियुक्त किया गया था और वह पाली जिले में तैनात थी, जहाँ वह ढाई वर्ष तक रही। उसके बाद, उसका स्थानांतरण ब्लॉक चाकसू, जिला जयपुर–II में कर दिया गया और अपीलार्थी की सेवाएँ उपकेंद्र जामबास ब्लॉक दांतारामगढ़, जिला सीकर में स्थानांतरित कर दी गईं। वहाँ नियुक्ति के दौरान, उसे जीएनएम प्रशिक्षण पूरा करने की अनुमति दी गई और उक्त प्रयोजन के लिए दिनांक 17.03.2023 के आदेश द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में 30.03.2022 से 29.03.2025 तक का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया। (अनुलग्नक–3) जीएनएम प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपीलार्थी ने 01.04.2025 को निदेशालय जयपुर में कार्यग्रहण किया और जब अपीलार्थी द्वारा अपनी पसंद के अनुसार अपने गृह जिले और निकटवर्ती जिले में पदस्थापन हेतु आवेदन करने के बाद, अपीलार्थी का स्थानांतरण अचानक दिनांक 09.05.2025 के आदेश द्वारा जैसलमेर कर दिया गया। दिनांक 09.05.2025 के आदेश के अनुसरण में, अपीलार्थी ने जैसलमेर में अपना कार्यभार ग्रहण किया और दिनांक 12.05.2025 के आदेश द्वारा उसे नियुक्त किया गया। अपीलार्थी को बीसीएमओ फतेहगढ़ के अधीन मुख्यालय भियासर में अतिरिक्त एएनएम के पद पर नियुक्त किया गया। (अनुलग्नक–4) तत्पश्चात, अपीलार्थी ने दिनांक 13.05.2025 के आदेश द्वारा उप–स्वास्थ्य केंद्र भीयासर में अपना कार्यभार ग्रहण किया और इस संबंध में बीसीएमओ फतेहगढ़, जिला जैसलमेर ने दिनांक 13.05.2025 का आदेश जारी किया (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी का पति भी शिक्षा विभाग जिला झुंझुनू में सेवारत है और उसके ससुर तथा सास कई वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हैं। मनसुख बनाम जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य के मामले में एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 10236/2025 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे सीमावर्ती जिलों में भेजे गए याचिकाकर्ताओं को उनके गृह जिलों में तैनाती देने के मामले पर विचार करें। कविता बनाम राजस्थान राज्य के मामले में अपील संख्या 2763/2025 में माननीय न्यायाधिकरण ने भी पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी के अनुसार झुंझुनू जिले के साथ–साथ निकटवर्ती सीकर जिले और जयपुर जिले में भी कई पद रिक्त हैं।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 09.05.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को उसके गृह जिले या निकटवर्ती जिले में नियुक्ति दिए जावे के मामले पर पुनर्विचार किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य